अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज।

E-mail ID- se.kishanganj.rwd@gmail.com, Mobile No. – 8986915948

पत्रांक ......95....../   किशनगंज, दिनांक 21/01/2025

प्रेषक :-   अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1

विषय :-   शीर्ष MMGSY (AWSESH) अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 के अधीन NDB-BRRP2-632-KISHANGANJ 1 तक (Tender ID- 136804) कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

1. उपर्युक्त विषय के संबंध में विहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 163 के आलोक में इस कार्य को इसके योग्य एवं सफल न्यूनतम दरदाता SAJID HUSSAIN (Bid ID 599848) को उनके द्वारा निविदित दर, जो परिमाण विपत्र की दर से 0.65% कम है, पर उक्त कार्य रू0 48,65,865.00 (अड़तालीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ पैंसठ रूपये) मात्र की लागत पर आपकी अनुशंसा एंव कार्य हित में आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिये है, जो भविष्य में पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवम निविदा के साथ जमा किये गये संबंधित बैंक गारंटी/एन0 एस0 सी0 आदि का सत्यापन संबंधित बैंक/डाकघर से करा कर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा। कार्यपालक अभियता, कार्य प्रमंडल, किशनगंज–1 कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व अग्रधन की राशि का सत्यापन कराकर, सत्यापन से संबंधित कागजात अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वॉछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर ली जाएगी।

5. एकरारनामा से पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निविदाकार डिबार सूची/ काली सूची या कार्य लंवित सूची में शामिल नहीं है।

6. कार्य में व्यवहृत सामाग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

7. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, विहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोडकर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।

8. कार्यपालक अभियता कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व यह जॉच लेंगे की पथ का नाम, अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, प्रसाशनिक स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, परकमित दर, Bid Capacity आदि सही है।अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जॉच अपने स्तर से स्वंय कर लेंगे एवं त्रुटी पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरांत एकरारनामा की कार्रवाई की जाएगी।

P.T.O

sajid hussain

9. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्वता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि नही है।
10. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्यस्थल के निरीक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
11. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारनामित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु मासिक कार्य प्रोग्राम हस्ताक्षरित कराकर प्राप्त कर लेंगे जो की एकरारनामा का भाग होगा।
12. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर कार्य पूरा की जाए।
13. कार्य समाप्ति की अवधि एकरारनामा के अनुसार होगी।
14. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाये।
15. इस कार्य का व्यय शीर्ष **MMGSY (Awsesh)** अन्तर्गत मिलने वाली राशि अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलित होगा।
16. कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।
17. एकरारनामा से पहले संवेदक द्वारा दिये गये कागजात का सत्यापन उनके मूल कागजात से मिलान कर लेंगे। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशगनंज–1 तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी को अभिलेख हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे। तथा उनका कार्यक्षमता, कुशलता एंव पूर्व से आवंटित कार्यो की प्रगति से संतुष्ट हो लें।
18. इस निविदा की राशि में अगर कोई अन्तर होता है तो इसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को दी जाय।
19. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्धृत करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में वांछित अतिरिक्त परफारमेंस सिक्यूरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
20. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
21. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर स्थल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
22. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में आवश्यक सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
23. कार्यपालक अभियंता पर्यवेक्षण के उपरान्त साप्ताहिक अन्तराल पर उर्पयुक्त विन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई करेंगे तथा की गयी कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
24. निविदा निष्पादन के कम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय तथा इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जाय।
25. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाये।
26. कार्यपालक अभियंता कार्यावंटन आदेश प्राप्त होते ही संवेदक को अविलम्ब LOA (Letter of Acceptance) निर्गत करेंगे एवं SBD की ITB की कंडिका 31.1 में निहित प्रावधान के आलोक में निर्धारित 21 दिनों के अन्दर एकरारनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में ITB की कंडिका – 31.3 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रस्ताव मुख्य अभियंता–2 को समर्पित करेंगे। विशेष परिस्थिति में उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् एकरारनामा करने हेतु Proper Justification उचित माध्यम से मुख्य अभियंता–2 को समर्पित करेंगे एवं उनके अनुमति के उपरान्त ही एकरारनामा करेंगे।

निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनकी कार्यक्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लेंगे।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।

विश्वासभाजन

21/01/25

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, किशनगंज।

21/01/2025

sajidhussain